

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग-2
संख्या-1229 / XVII-2 / 22-08(OBC) / 2015
देहरादून: दिनांक: 24 सितम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

समाज कल्याण अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-44/XVII-2 / 22-08(OBC) / 2015 दिनांक 07.01.2022 द्वारा उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नामित उपाध्यक्ष श्री अंकित आर्य पुत्र श्री विनोद आर्य निवासी स्वदेशी भवन, आर्य नगर, हरिद्वार को उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003(अधिनियम संख्या 7 वर्ष 2003) की धारा 5 की उपधारा 3(च) के तहत तत्काल प्रभाव से उक्त पद से पदमुक्त किया जाता है।

तदक्रम में श्री अंकित आर्य को अनुमन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

1. / 24/9/22.
(एल.फैनई)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या:- / XVII-2 / 22-08(OBC) / 2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1-सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2-निजी सचिव, मा.मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा.मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 3-निजी सचिव, समस्त मा.मंत्रीगण, उत्तराखण्ड को मा.मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 4-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 6-सचिव, मंत्रीपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड।
- 8-महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
- 9-निदेशक, कोषागार।
- 10-समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 11-निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी-नैनीताल।
- 12-सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 13-श्री अंकित आर्य पुत्र श्री विनोद आर्य निवासी स्वदेशी भवन, आर्य नगर, हरिद्वार।
- 14-गार्ड फाईल।

(एल.फैनई)
प्रमुख सचिव